राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर

क्रमाक –नर्सिंग/नर्स–2(F)अभ्या0/कोर्टकेस/आर–12/2019/ दिनाक –

आदेश

श्रीमती रेखा रोत पत्नि श्री हरीश चन्द्र कटारा, नर्स–2, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाहरपुरा, बासवाडा के अधीन नर्स–2 के रिक्त पर स्थानान्तरण किये जाने के संबध में दायर रिट एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 1021/2019 श्रीमती रेखा रोत, नर्स–2 बनाम राज0. सरकार व अन्य के प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनाक 14.02.19 को पारित निर्णय निम्नानुसार है.–

"In view of the submissions made, the petitioner may approach the respondents with appropriate representation mentioning all the facts and raising her grievances and it is expected from the respondents to decide the representation most expeditiously preferably within a period of four weeks from the date the representation is made alongwith copy of this order. In case the petitioner has any grievance qua the disposal of the representation, she would be free to take appropriate proceedings in accordance with law. The writ petition stands disposed of accordingly"

याचिकाकर्ता ने एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 1021/2019 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनाक 14.02.19 की अनुपालना मे दिनाक 19.02.2019 को निदेशालय मे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया है कि उनका गृह जिला बांसवाडा मे है जो कि उनके कार्यस्थल से 350 किलोमीटर दूरी पर है । बच्चा 1 वर्ष 6 माह का है जो Celiac disease बीमारी से ग्रसित है । पति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुरा, बासवाडा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है । ससुर भी गभीर बीमारी से ग्रसित है । अत. पारिवारीक परिस्थितियो के मध्यनजर सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोडन, रतनपुरा, नाहरपुरा या खण्ड आनन्दपुरी, जिला बासवाडा मे नर्स श्रेणी द्वितीय रिक्त पद एव नर्स श्रेणी–प्रथम के पद विरूद्व किये जाने का निवेदन किया है ।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मे अपने बच्चे एव ससुर के बीमारी का उल्लेख किया है परन्तु उनके द्वारा इनसे सबधित कोई चिकित्सकीय दस्तावेज सलग्न नही किये है एव प्रार्थी द्वारा वाछित स्थानो पर वर्तमान मे नर्स श्रेणी–द्वितीय का कोई पद रिक्त नही है ।

जिला सिरोही से अन्यत्र स्थानान्तरण नही किये जाने के सबध मे श्री रायम लोढा द्वारा दायर (जनहित याचिका) डी.बी सिविल रिट सख्या 2297/2016 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की गई के सबध मे दिनाक 04.04.2017 को निम्नानुसार निर्णय भी पारित किया गया है–

It is also pointed out that the National Health Mission has also declared a list of 591 Pharmacists who have cleared the process of selection for appointment. The orders of appointments are under process and those shall be issued at the earliest. It is also brought to the notice of the court that the State Government has also decided to fill up the vacancies relating to General Nursing and Midwifery (Nurse Grade-II), Ancillary Nursing and Midwifery, Lab Technician, Pharmacist RBSK, Pharmacist District Hospital, Physiotherapists,Optometrists. Audiologists cum Speech Therapist, Nusring Superintendent, Nursing Tutor(College Of Nursing, Kota). Nursing Midwifery Tutor State Nodal Centre on contract basis through Institute of State Health & Family Welfare.

The details given appear to be quite satisfactory. We hope that all existing vacancies shall be filled up , as per the details given at the earliest.

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा मनन/विचार किया गया इनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मे ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया । बलहीन एव सारहीन होने के कारण प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है। अत माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक मे प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमाक –नर्सिंग / नर्स–2(F) / अभ्या0 / कोर्ट केस / आर–12 / 2019 / 1053 दिनाक – 6/8/19

प्रतिलिपि –निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
2 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही । ।
3 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा।
4. श्रीमती रेखा रोत पत्नि श्री हरीश चन्द्र कटारा, नर्स–2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
5 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर